

प्रेषक

21/8/08

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग ।

सेवा में

सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

[विभागा एवं राजस्व विभाग]

यादी क्रमांक-2913-र-1-2008 / 7953

चण्डीगढ़, दिनांक

07-08-2008

CPCL Lm

विषय:

सरकारी भूमि को एक विभाग से दूसरे विभाग को निशुल्क हस्तांतरण करने बारे नीति निर्धारण ।

21/8

उपरोक्त विषय पर आपको सूचित किया जाता है कि सरकारी भूमि सरकार के एक विभाग से दूसरे विभाग को वित्तायुक्त राजस्व के स्थाई आदेश क्रमांक 28 के पैरा नं0 6-ए.1 के अन्तर्गत राजस्व विभाग द्वारा निशुल्क हस्तांतरण की जाने का प्रावधान है। कई विभागों द्वारा सरकारी भूमि एक विभाग से दूसरे विभाग को निशुल्क हस्तांतरण करने से सम्बन्धित मामले मंत्रिपरिषद से अनुमोदित करवाएं जाते रहे हैं। इस सम्बन्ध में कोई स्थाई नीति न होने के कारण अब सरकार द्वारा मंत्रिपरिषद की अनुमति से निर्णय लिया गया है कि सरकारी भूमि सरकार के एक विभाग से दूसरे विभाग को निशुल्क हस्तांतरण करने से सम्बन्धित मामले विभागों द्वारा मंत्रिपरिषद के सम्मुख रखने की आवश्यकता नहीं है तथा ऐसे मामलों में स्वीकृति मुख्य मन्त्री महोदय के अनुमोदन व वित्त विभाग की सहमति उपरांत वित्तायुक्त, राजस्व द्वारा ही दी जाएगी।

3. अतः भविष्य में मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित की गई नीति के अनुसार सरकारी भूमि सरकार के एक विभाग से दूसरे विभाग को निशुल्क हस्तांतरण करने के प्रस्ताव राजस्व विभाग को सीधे भेजे जाए। ये प्रस्ताव भेजने से पहले विभाग की सहमति भी साथ लगाई जाए, जिस विभाग के नाम वह भूमि है।

[Signature]

अवर सचिव राजस्व (एल0आर0)

कृते: वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग ।

एक प्रति, ज्ञापन की प्रति तथा सचिव, मंत्रिपरिषद, हरियाणा के अशा: क्रमांक 9/120/2008-2 कैबिनेट, दिनांक 14-07-2008 की प्रति सहित मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को भेजकर अनुरोध हैं कि इस नीति के परिणामस्वरूप यदि हरियाणा सरकार, कार्य संचालन नियम, 1977 में कोई संशोधन कराया जाना आवश्यक हो तो इस बारे आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

—Eswal/

अवर सचिव राजस्व (एल0आर0)

कृते: वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग।

सेवा में

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
चण्डीगढ ।

अशा: क्रमांक 2913-र-1-2008/2/93 चण्डीगढ, दिनांक 07-08-2008

इसकी एक प्रति, ज्ञापन की प्रति तथा सचिव, मंत्रिपरिषद, हरियाणा के अशा: क्रमांक 9/120/2008-2 कैबिनेट, दिनांक 14-07-2008 की प्रति सहित अधीक्षक, भू0 अभिलेख शाखा, वित्तायुक्त कार्यालय, हरियाणा को भेजकर अनुरोध हैं कि इस नीति के परिणामस्वरूप राजस्व विभाग के स्थाई आवश्यक संशोधन कराया जाए।

—Eswal/

अवर सचिव राजस्व (एल0आर0)

कृते: वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग।

सेवा में

अधीक्षक, अभिलेख शाखा,
वित्तायुक्त कार्यालय, हरियाणा ।

अशा: क्रमांक 2913-र-1-2008/2/94 चण्डीगढ, दिनांक 07-08-2008

एक प्रति सचिव, मंत्रिपरिषद को उनके अशा: क्रमांक 9/120/2008-2 कैबिनेट, दिनांक 14-07-2008 के सन्दर्भ में सूचनार्थ

—Eswal/

अवर सचिव राजस्व (एल0आर0)

कृते: वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग।

सेवा में

सचिव, मंत्रिपरिषद, हरियाणा,
(मंत्रिमण्डल अनुभाग में)